(भारत का राजपत्र के भाग–**III**, खंड–4 में प्रका**शित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 153 **नई दिल्ली,** 25 जुलाई, 2007

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, शिपिंग लाइनों पर आरोप्य कारणों से वीसीटीपीएल के बर्थ में निष्क्रिय खड़े रहने वाले पोत के लिए दंडात्मक प्रभार की वसूली के लिए इसके दरमान में शर्त शामिल करने के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(अ. ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>मामला सं. टीएएमपी/13/2006–वीसीटीपीएल</u>

विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ——————— आवेदक

आदेश

(जून, 2007 के 28वें दिन पारित)

यह मामला शिपिंग लाइनों पर आरोप्य कारणों से वीसीटीपीएल के बर्थ में निष्क्रिय खड़े रहने वाले पोत के लिए दंडात्मक प्रभार की वसूली के लिए इसके दरमान में शर्त शामिल करने के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 28 फरवरी, 2007 से संबंधित है।

2. वीसीटीपीएल ने शिपिंग लाइनों पर आरोप्य कारणों से इसक बर्थ में पोत के निष्क्रिय खड़ रहने पर रू0 10,000/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग दंडात्मक प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव किया है। इसने अपने पहले किए गए निवेदनों की अभिपुष्टि करने के लिए पोतों की सूची और जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2005 अवधि के लिए पोत/शिपिंग लाइनों के कारण इसके टर्मिनल में विलंब की अवधि भेजी है।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीसीटीपीएल का प्रस्ताव वीपीटी और संबद्ध प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। विशाखापत्तनम कंटेनर लाइन्स असोसिएशन (वीसीएलए) से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वीसीटीपीएल को अग्रेषित की गई थी। वीसीटीपीएल ने वीसीएलए की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया था।

4. इस मामले में विचार–विमर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध है। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

5. तत्पश्चात, वीसीटीपीएल ने अपने दरमान की सामान्य समीक्षा के लिए फरवरी, 2007 में एक पृथक प्रस्ताव दाखिल किया था। उक्त प्रस्ताव में, इसने शिपिंग लाइनों पर आरोप्य कारणों से 2 घंटे स अधिक अथवा उसके भाग के लिए इसके बर्थ में निष्क्रिय खड़े होने वाले कंटेनर पोतों पर रू0 5000 प्रति घंटा की वसूली का प्रस्ताव किया है। वीसीटीपीएल ने भी स्पष्ट किया है कि प्रशुल्क समीक्षा प्रस्ताव में प्रस्तावित संशोधित दर इसके पूर्ववर्ती प्रस्ताव में रू0 10,000 प्रति घंटा की प्रस्तावित दर का अधिक्रमण करती है।

6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 12 जून, 2007 को विशाखापत्तनम पत्तन न्यास परिसर में वीसीटीपीएल के प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव के साथ की गई थी। टर्मिनल में निष्क्रिय खड़े होने वाले कंटेनर पोतों के लिए प्रस्तावित संशोधित प्रशुल्क का वीसीटीपीएल के सामान्य समीक्षा प्रस्ताव में विश्लेषण किया गया है जिसपर अलग से विचार किया जा रहा है। चूंकि प्रस्तावित प्रशुल्क मद संशोधित और सामान्य समीक्षा प्रस्ताव में शामिल की गई है, इसलिए इस मामले पर अलग से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

7. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, यह मामला अतिरिक्त रूप में बंद कर दिया गया है।

(अ. ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष